

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- अभिषेक कुमार कर्ष
पिता/पति का नाम :- तिरिथ लाल कर्ष
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3001
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- काजल मालवी
पिता/पति का नाम :- जगदीश
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3002
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- आशुतोष कुमार लहरे
पिता/पति का नाम :- नरेश कुमार लहरे
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3003
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- एकांकी भार्गव
पिता/पति का नाम :- लोकेश भार्गव
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3004
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- संजना यादव
पिता/पति का नाम :- श्री ललित किशोर यदु
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3005
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- दीपज्योति
पिता/पति का नाम :- शंकर लाल
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3006
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- संजय कुमार निर्मलकर
पिता/पति का नाम :- धनीराम
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3007
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- योगिता ठाकूर
पिता/पति का नाम :- ज्ञानचंद ठाकूर
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3008
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- तृप्ति चंद्राकर
पिता/पति का नाम :- राजेन्द्र चंद्राकर
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3009
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- रूपाली गुप्ता
पिता/पति का नाम :- किशोरी रमण गुप्ता
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3010
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- गरिमा ठाकुर
पिता/पति का नाम :- कैलाश ठाकुर
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3011
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- बिनीता कंवर
पिता/पति का नाम :- गोवर्धन सिंह
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3012
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- रीमा
पिता/पति का नाम :- राजेन्द्र कुमार
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3013
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- मेघा नेताम
पिता/पति का नाम :- रेखराम नेताम
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3014
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- भाग्यलक्ष्मी
पिता/पति का नाम :- सत्यवान साहू
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3015
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- शालु
पिता/पति का नाम :- नरोत्तम
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3016
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- जागृति यादव
पिता/पति का नाम :- संतोष यादव
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3017
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- निशा साहू
पिता/पति का नाम :- घनश्याम साहू
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3018
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- खुशबु देवांगन
पिता/पति का नाम :- उमेश कुमार देवांगन
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3019
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- मुस्कान पाण्डेय
पिता/पति का नाम :- दिनेश पाण्डेय
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3020
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- पोमेश साहू
पिता/पति का नाम :- एम.एल. साहू
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3021
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- अंकिता सिंह
पिता/पति का नाम :- मारकण्डेय सिंह
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3022
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- रुखमणी
पिता/पति का नाम :- कुंवरलाल
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3023
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- तृप्ति साहू
पिता/पति का नाम :- गौतम साहू
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3024
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- पूजा साहू
पिता/पति का नाम :- स्व. रामशरण साहू
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3025
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- झरोखा चंद्राकर
पिता/पति का नाम :- दीपक चंद्राकर
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3026
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- नेहा श्रीवास
पिता/पति का नाम :- मुरारी श्रीवास
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3027
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- ज्योति साहू
पिता/पति का नाम :- गोविन्द राम साहू
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3028
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- चंद्रकला
पिता/पति का नाम :- कृष्णनंद
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3029
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- प्रीति वर्मा
पिता/पति का नाम :- डामनलाल वर्मा
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3030
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- नेहा ठाकुर
पिता/पति का नाम :- गोपाल सिंह
वर्ग :- GEN
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3031
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtмахасамुन्द@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- डकेश्वर कुमार
पिता/पति का नाम :- घनश्याम
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3032
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- हिमांशु सिन्हा
पिता/पति का नाम :- उमा कुमार सिन्हा
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3033
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- खोमेश कुमार
पिता/पति का नाम :- दिनेश कुमार
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3034
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- धनेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम :- रोहित राम
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3035
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- रितेश कुमार
पिता/पति का नाम :- दयाशंकर
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3036
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- रोमन लाल
पिता/पति का नाम :- श्रीमान योगेन्द्र
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3037
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- गोपाल साहू
पिता/पति का नाम :- इन कुमार साहू
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3038
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- आकाश चंद साहू
पिता/पति का नाम :- गोपी चंद साहू
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3039
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- रितेश कुमार साहू
पिता/पति का नाम :- महेन्द्र साहू
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3040
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- वैभवराज चंद्राकर
पिता/पति का नाम :- मनाहर चंद्राकर
वर्ग :- OBC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3041
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- आर्यन भारती
पिता/पति का नाम :- माया शंकर भारती
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3042
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- विकास डहरिया
पिता/पति का नाम :- पूरन लाल डहरिया
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3043
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- कृतेश कुमार खाण्डेकर
पिता/पति का नाम :- कृष्णा कुमार खाण्डेकर
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3044
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- दुष्यंत कुमार
पिता/पति का नाम :- बद्रीनारायण
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3045
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- अजय सोनटेके
पिता/पति का नाम :- महेन्द्र सोनटेके
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3046
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- मनीष कुमार कुर्रे
पिता/पति का नाम :- भज राम
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3047
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- कुसुमलता टंडन
पिता/पति का नाम :- तुलाराम टंडन
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3048
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- वीना टंडन
पिता/पति का नाम :- ध्रुव कुमार टंडन
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3049
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- प्रियल
पिता/पति का नाम :- उदयराम
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3050
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- सरिता कुर्रे
पिता/पति का नाम :- बीरेन्द्र कुमार लहरे
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3051
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- भानु प्रताप भारद्वाज
पिता/पति का नाम :- नंद कुमार भारद्वाज
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3052
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- उमेश
पिता/पति का नाम :- सुनाधर
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3053
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- प्यारे लाल टंडन
पिता/पति का नाम :- धनीराम टण्डन
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3054
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- संतोष कुमार मरकाम
पिता/पति का नाम :- मनबसु राम
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3055
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- दिक्षा भंडारी
पिता/पति का नाम :- ज्वाला प्रसाद
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3056
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- बंटी बंसल
पिता/पति का नाम :- बिन्दा प्रसाद बंसल
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3057
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- गजेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम :- लैनदास
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3058
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- शकुन कुमारी
पिता/पति का नाम :- रथराम
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3059
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- सतीश कुमार टंडन
पिता/पति का नाम :- धजाराम टंडन
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3060
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- सोमनाथ चतुर्वेदी
पिता/पति का नाम :- रामाधार चतुर्वेदी
वर्ग :- SC
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3061
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtмахасамुन्द@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- रमेश भगत
पिता/पति का नाम :- जयराम भगत
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3062
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- रितेश कुमार
पिता/पति का नाम :- रामेश्वर सिंह कंवर
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3063
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtмахасамुन्द@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- करमचंद
पिता/पति का नाम :- लम्बौदर सिंह
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3064
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- रामरुनेह मरकाम
पिता/पति का नाम :- बलवन मरकाम
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3065
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- रीना पैकरा
पिता/पति का नाम :- राजू पैकरा
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3066
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- कुलदीप सिंह कंवर
पिता/पति का नाम :- धनसिंह कंवर
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3067
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- गीतिका
पिता/पति का नाम :- सकराम सिंह
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3068
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtмахасамुन्द@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- कवित्या उइके
पिता/पति का नाम :- श्याम सुंदर उइके
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3069
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- राहुल कुमार
पिता/पति का नाम :- श्याम लाल
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3070
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- दीपा कुमारी
पिता/पति का नाम :- विवेक पैकरा
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3071
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- सत्यनारायण कर्पे
पिता/पति का नाम :- पंचराम कर्पे
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3072
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- यशवंत कुमार कुंजाम
पिता/पति का नाम :- उत्तरा कुमार कुंजाम
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3073
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- कौशिल्या
पिता/पति का नाम :- नारायण सिंह
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3074
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- त्रिवेन्द्र जगत
पिता/पति का नाम :- बरतराम जगत
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3075
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtмахасамुन्द@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- काजोल नेताम
पिता/पति का नाम :- भोज कुमार नेताम
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3076
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- स्वाती
पिता/पति का नाम :- केदार नाथ
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3077
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- अमन
पिता/पति का नाम :- फिरत राम
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3078
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- क्षितिज कुमार कश्यप
पिता/पति का नाम :- ललित कुमार कश्यप
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3079
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- पूजा नागवंशी
पिता/पति का नाम :- व्यासनारायण नागवंशी
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3080
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- दीपा
पिता/पति का नाम :- मानदाउ कंवर
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3081
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- महिमा कंवर
पिता/पति का नाम :- खुशी लाल कंवर
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3082
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- सरिता भोई
पिता/पति का नाम :- उसतराम भोई
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3083
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- ऋषिकेश सिदार
पिता/पति का नाम :- धनसाय सिदार
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3084
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- प्रताप सिंह कंवर
पिता/पति का नाम :- वीर सिंह कंवर
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3085
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtмахасамुन्द@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- संजू सिंह ध्रुव
पिता/पति का नाम :- बद्री सिंह ध्रुव
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3086
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- ज्योति
पिता/पति का नाम :- संतलाल
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3087
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- नंदकिशोर राठिया
पिता/पति का नाम :- केशर सिंह राठिया
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3088
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- दीपक ध्रुव
पिता/पति का नाम :- शिकुमार ध्रुव
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3089
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- कुशल प्रसाद ध्रुव
पिता/पति का नाम :- दिलीप कुमार ध्रुव
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3090
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtmahasamund@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- रिषिका कंवर
पिता/पति का नाम :- बंधन सिंह कंवर
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3091
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email-districtcourtмахасамुन्द@gmail.com

प्रवेश-पत्र

कौशल परीक्षा

सहायक ग्रेड-3 के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

अभ्यर्थी का नाम :- श्याम सिंह कुंजाम
पिता/पति का नाम :- धरमू राम कुंजाम
वर्ग :- ST
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 3092
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर, बी.टी.आई.रोड महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 04/05/2025 (दिन रविवार)
परीक्षा का समय :- सुबह 11:00 बजे

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर
(दस्तावेज जाँच के समय)

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय, महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा स्थल में परीक्षा समय के 10 मिनट पूर्व गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके पश्चात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेज लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामाग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, परीक्षक के समक्ष ही करेगे।